ग्राम पंचायत धोरण, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धोरण, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि “01-04-2021 से 31-03-2023” तक के लेखों का अंकेक्षण हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुख देव सिंह	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मुनीष कुमार	01-04-21 से 27-06-21
2.	श्री नरेश कटोच	28-06-21 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत धोरण के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	15.16
2.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़	17.15

		बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया जाना	
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.36
4.	8	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.97
5.	10	पंचायत बैठकों में अनुपस्थिति के बावजूद पंचायत सदस्यों को भुगतान करना	0.01
6.	13	स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे	0.49
7.	14	ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय राशि से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	विवरणानुसार
8.	17	निविदाओं को पूल (pool) करने बारे	विवरणानुसार

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत धोरण, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03 /2023 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री विशाल शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 10-11-2023 से 15-11-2023 के दौरान पंचायत कार्यालय, धोरण में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	12/21	07/21
2022-23	08/22	05/22

<u>अस्वीकरण</u>:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत धोरण, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6,400/-** आँका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 105A दिनाँक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धोरण से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत धोरण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्रोत:- ग्राम पंचायत धोरण के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति(₹)	योग (₹)	व्यय(₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	350213.18	90582.00	440795.18	86415.00	354380.18
2022-23	354380.18	174221.00	528601.18	127220.75	401380.43

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत धोरण के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	2588493.35	3955335.40	6543828.75	4049678.80	2494149.95
2022-23	2494149.95	6529129.90	9023279.85	7506798.90	1516480.95

{ग} दिनाँक 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/5TH/MPLAD	KCC	20138003212	189616.08
2.	General	KCC	20138003223	129060.00
3.	15 FC	ICICI	93601000728	910454.00
4.	14TH	CANARA	2065101014670	596332.35
5.	RGSA	CANARA	20165101015239	9585
6.	VKVNY	HDFC	17361450000824	221
7.	VKVNY	KCC	50061596349	39994.95
8.	SDP/SDRF	KCC	50061596292	39985.00
9.	AAY	HDFC	17361450000748	7.00
10.	PS	HDFC	17361450000834	374.00
11.	PS	KCC	50061595903	98.00
12.	RAY	KCC	50061596316	4.00
13.	GRDY	KCC	50061596350	3.00
14.	GRDY	HDFC	17361450000487	6.00
15.	ZP	KCC	50061596269	2.00
16.	हस्तगत रोकड़			2119.00
			कुल योग	₹1917861.38

4.1 **बैंक समाधान विवरणी:-**

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	1917861.38
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (4 क+4 ख)	1917861.38
अंतर	0

4.2 **वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 **लेखा खाता /खाता बही तैयार न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ है।

अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता

बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. अनुदान राशि ₹15.16 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-क}** के अनुसार दिनाँक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹1516480.95 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104(1) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धोरण से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इनको यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹17.15 लाख का भारी अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है, जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अंकेक्षण अवधि चयनित हेतु माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (Except MNREGA):-

क्रम स.	माह	प्राप्ति (₹)			भुगतान (₹)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	7/21	9880.00	9880.00	0	58815.00	112160.00	53345
2	12/21	192159.00	198155.00	5996	169090.00	301647.00	132557
3	5/22	154740.00	1132678.40	977938.4	312935.00	529576.00	216641
4	8/22	80010.00	513947.80	433937.8	283939.00	386152.75	102213.75

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA):-

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति (₹)			भुगतान (₹)		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	21-22	2102110.00	1623418.00	**478692**	1352011.40	1713594.40	361583
2	22-23	3584349.00	3599020.00	14671	3847223.50	4529688.75	682465.25

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है (Except MNREGA):-

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
22-23	3618661.45+14412 (Cash in Hand) = 3633073.45	**1917861.38**	1715212.07

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104(3) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे नियमानुसार एवं वस्तुस्थिति अनुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने उपरान्त अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.36 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22, 2022-23 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹35850/- के पंचायत राजस्व की वसूली दिनाँक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण निम्न है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	428	100	37050	42800	79850	0	79850
2022-23	430	100	79850	43000	122850	87000	35850

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता नहीं लगाया जा सका। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण नियमानुसार न करना एवं गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104(2) दिनाँक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/DH/92 दिनाँक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.97 लाख की राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹97159/-** का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि (₹)
रेत	78.28	1.62	126.81	60	7608
बजरी	104.80	1.52	159.29	60	9557
पत्थर	35.40	2.24	79.29	60	4757
रेत	105.29	1.62	170.56	80	13645
बजरी	210.02	1.52	319.23	80	25538
पत्थर	92.76	2.24	207.78	80	16622
				कुल योग	**77727**
				पेनल्टी 25%	**19432**
				कुल योग	**97159**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(6) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी।

अतः **₹97159/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नियमानुसार हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। अतः शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच संस्था स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

9.1 बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्या परीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र० स०	**वित्तीय वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)**
1.	2021-22	7/2021	**734804.40**
2.	2022-23	5/2022	**1226114.40**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(7) दिनाँक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके

प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9.2 बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनाँक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 07/21 व 05/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 07/21 व 05/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(8) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 ₹850/- का मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गए मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में निर्वाचित सदस्यों को **₹850/-** के मानदेय का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वार्ड पंच का नाम	पंचायत बैठकों की अवधि	कुल बैठकें	भुगतान की गयी राशि (₹)	पंचायत बैठकों में कुल वास्तविक उपस्थिति	वास्तविक भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	पूजा देवी	01/2022 से 03/2022	6	6X250 =1500	5	(5X250)=1250	250
2.	पूजा देवी	04/2022 से 06/2022	6	6X300 =1800	5	(5X300)=1500	300
3.	पूजा देवी	01/2023 से 06/2023	12	11X300 = 3300	10	(10X300)=3000	300
						कुल योग	850/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104(4) दिनाँक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनाँक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमितता को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा उचित स्रोत से संपरीक्षा सुझावानुसार/नियमानुसार वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनाँक 31.03.2023 को ₹2119 हस्तगत राशि के रूप में रखा गया था जो कि निर्धारित सीमा से अधिक है, जबकि नियमानुसार सचिव द्वारा केवल एक हज़ार तक की राशि ही हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104(5) दिनाँक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना

में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/DH/92 दिनाँक 15.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.03 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹3200/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये एवं नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**बिल०/वाउचर संख्या, वर्ष/माह**	**फर्म का नाम**	**विवरण**	**राशि (₹)**
1	34 दिनांक 09.05.22	मै. जे. के. बी. प्रीमियम कंप्यूटर	लैपटॉप रिपेयर, विंडो रिपेयर, क्विक हील एंटीवायरस	3200
			कुल योग	**₹3200**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(12) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनाँक 15.11.2023 के अन्तर्गत पंचायत सचिव द्वारा तथ्यो व आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त सूचित किया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कार्यों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में कार्यों को करने से

पूर्व आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 ₹0.49 लाख के स्टॉक की प्रविष्टि न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹49220/-** के स्टॉक की प्रविष्टि नहीं की गई थी :-

क्रम संख्या	बिल०/वाउचर संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि (₹)
1.	612 दिनांक 06.07.21	मै. विजय कुमार	रेत, बजरी, गटका (मनरेगा)	20050
2.	80 दिनांक 06.07.21	मै. आर. एस. कंस्ट्रक्शन	रेत, बजरी (मनरेगा)	17790
3.	27 दिनांक 09.05.22	मै. विश्वकर्मा वेल्डिंग वर्क्स	स्टील चेम्बर	6500
4.	49 दिनांक 05.05.22	मै. मनमोहन डोगरा(हैप्पी)	टाइल्स	2600
5.	35 दिनांक 09.05.22	M/S Yohan Technology	Cartage	1200
6.	42 दिनांक 09.05.22	मै. एजुकेशनल शेल एम्प्रियम	स्टेशनरी	1080
			कुल योग	**49220**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(11) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय राशि से सम्बन्धित माप पुस्तिका न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक (कों) सुसंगत अभिलेख/रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशियों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतान की गई राशि के व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि (₹)
1	निर्माण कार्य सोंदर्यकरण बाबा कृपा मंदिर धोरण	Tourism	400000
2	निर्माण पंचायत सामुदायककेंद्र/ पंचायत घर	RGSA	500000
3	निर्माण कंकरीट शेड़ सामुदायक भवन चोलियाँ	SDP	500000
4	निर्माण कुहल मेला राम टुवड्र्स कुआँ की ओर	मनरेगा	300000
5	निर्माण कुहल जगदीश चन्द के घर से नाले की ओर	मनरेगा	300000
6	निर्माण कुहल देश राज के घर से नाले की ओर	मनरेगा	300000
7	निर्माण कार्य जीप रोड मेंन रोड से गलेरू वस्ती की ओर वार्ड न०. 5	मनरेगा	300000
8	निर्माण कार्य जीप रोड सुरेन्द्र सिंह जमीन से जय सिंह के घर तक	मनरेगा	300000
9	निर्माण कार्य जीप रोड करम चन्द के घर से माता मंदिर की ओर	मनरेगा	300000
10	निर्माण कार्य जीप रोड एन. एच. से करतार पठानिया के घर तक	मनरेगा	300000

11	निर्माण कार्य रेनोवेशन ऑफ़ मोक्षधाम ग्राम पंचायत धोरण	मनरेगा	300000
12	निर्माण कार्य प्रोटेक्शन वाल विद रोड नियर शुभाष भोरा हाउस	मनरेगा	100000
13	निर्माण कुहलकांता देवी के घर से अशोक कुमार के घर की ओर	मनरेगा	120000
14	निर्माण कुहल जगदीश चन्द के घर से पुलिया तक वार्ड न० 3	मनरेगा	118000
15	निर्माण कार्य जीप रोड सतपाल के घर से संजीवन के घर तक	मनरेगा	200000
16	निर्माण रास्ता पूनम धीमान के घर से नाई बस्ती की ओर	मनरेगा	184000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(14) दिनाँक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनाँक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अपेक्षित अभिलेखों को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट किया जाए एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

15 मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकरियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि (₹)	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1	कुहल सलोचना देवी की ज़मीन से नाले के ओर	MNREGA	1,50,000	10670/78 12387/58,62
2.	Jeepable road to Manager House to Pulia	MNREGA	1,98,000	12387/20,35,37,42,52,60

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(10) दिनाँक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये इन्हें पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 निर्माण कार्य कुहल सलोचना देवी जमीन से नाले की ओर के लिए ₹1125/- का अधिक भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य "कुहल सलोचना देवी जमीन से नाले की ओर के लिए" की जांच के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 10670 पृष्ट संख्या 78 व माप पुस्तिका संख्या 12387 पृष्ट संख्या 58, 62 में निर्माण सामग्री (रेत, बजरी) का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री (रेत, बजरी) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	रेत	165 CFT	150 CFT	15 CFT	42	630
2	बजरी	300 CFT	285 CFT	15 CFT	33	495
	कुल योग					**1125/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(13) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त निर्माण सामग्री के प्रयोग हेतु निर्धारित निर्माण मानकों अनुसार गणित (Computed) मात्रा से अधिक सामग्री के प्रयोग को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 निविदाओं को पूल (pool) करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान वर्ष 2021-22 में प्राप्त निविदाएँ/कोटेशन की जांच में पाया गया कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदाओं में दो आपूर्तिकर्ताओं के दूरभाष नंबर व वेबसाइट एक ही थी, जिससे प्रतीत होता है कि कोटेशने एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	फर्म का नाम/ पता	दूरभाष नंबर	वेबसाइट
1	मै. श्री गणेश इंडस्ट्रीज/गाँव बीजापुर, डाक घर व तहसील जयसिंहपुर, जिला काँगड़ा	Off. 01894-228155, 96252-10001	www.sunnybrosindustry.com
2	मै. सनी ब्रोस. /गाँव बीजापुर, डाक घर व तहसील जयसिंहपुर, जिला काँगड़ा	Off. 01894-228155, 96252-10001	www.sunnybrosindustry.com
3	मै. डोगरा ब्रदर्स//गाँव व डाक घर अर्थ झिक्ली तहसील पालमपुर, जिला काँगड़ा	98053-17815	--------

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 के दौरान निर्माण सामग्री की खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न०, वेबसाइट एक ही थी, जिससे प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया था, जिसकी जाँच क्रय कमेटी द्वारा नहीं की गई थी तथा किसी एक फर्म को लाभ पहुँचाने के लिए ही ऐसा किया गया था, फलस्वरूप उक्त आपूर्तिकर्ताओं से क्रय में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जोकि अनुचित था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(13) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त अनियमितता को वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार वस्तुस्थिति अनुसार कार्रवाई अमल में लाते हुए अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 विभिन्न शीर्ष से प्राप्त अनुदान से ₹0.98 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनाँक 31-03-23 तक **निम्नलिखित शीर्षों से प्राप्त** अनुदान राशि से अधिक राशि खर्च कर ली गई थी जोकि अनियमित हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार दिया गया है :-

क्रम संख्या	शीर्ष	राशि (₹)
1.	SDRF	40540.00
2.	MPLAD	24089.00
3.	5TH FC	32812.00
4.	ZP	761.00
	कुल योग	**98202**

अत: वस्तुस्थिति अनुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए प्राप्त अनुदान राशि से अधिक राशि खर्च करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105(16) दिनांक 15.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/DH/92 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0 प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

20 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

21 **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

22 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

23 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

527-531 का0/67

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)383/2023–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय लोक लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत धोरण, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/67

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT DHORAN BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176060

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	350213.18	90582.00	440795.18	86415.00	354380.18

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT DHORAN BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176060

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	354380.18	174221.00	528601.18	127220.75	401380.43

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

JA

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT DHOARN
DEV. BLOCK BHAWARNA KANGRA H.P

22

परिशिष्ट - "1" पैरा 4(ख), 5 से सम्बन्धित

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP DHORAN BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	829349.35	15531.00	844880.35	275903.00	568977.35
2	MNREGA	0.00	2422499.40	2422499.40	2422499.40	0.00
3	ZP	727	24.00	751.00	0.00	751.00
4	5TH FC	128575.00	219553.00	348128.00	280253	67875.00
5	RAY	1201	36.00	1237.00	0.00	1237.00
6	MPLAD	257149.00	110000.00	367149.00	347350.00	19799.00
7	RGSY	508409.00	11293.00	519702.00	54.00	519648.00
8	VKVNY	460.00	158411.00	158871.00	14719	144152.00
9	SDRF	278313.00	299251.00	577564.00	542074.00	35490.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	31621.00	959.00	32580.00	0.00	32580.00
12	IAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	GRDY	1044.00	33.00	1077.00	0.00	1077.00
14	SDP	96902.00	95167.00	192069.00	166826.40	25242.60
15	SBM	108616	3184.00	111800.00	0.00	111800.00
16	15TH FC	346127	619394.00	965521.00	0.00	965521.00
	TOTAL	**2588493.35**	**3955335.40**	**6543828.75**	**4049678.80**	**2494149.95**

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP DHORAN BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	568977.35	17025.00	586002.35	0.00	586002.35
2	MNREGA	0.00	3104330.90	3104330.90	3104330.90	0.00
3	ZP	751.00	15.00	766.00	1527.00	-761.00
4	5TH FC	67875.00	1049881	1117756.00	1150568	-32812.00
5	RAY	1237.00	1282.00	2519.00	2519.00	0.00
6	MPLAD	19799.00	80000	99799.00	123888	-24089.00
7	RGSY	519648.00	5375.00	525023.00	518119.00	6904.00
8	VKVNY	144152.00	212214	356366.00	316150	40216.00
9	SDRF	35490.00	138983.00	174473.00	215013.00	-40540.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	32580.00	33909.00	66489.00	65339.00	1150.00
12	IAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	GRDY	1077.00	1113.00	2190.00	2180.00	10.00
14	SDP	25242.60	943386.00	968628.60	898682.00	69946.60
15	SBM	111800.00	71262.00	183062.00	183062.00	0.00
16	15TH FC	965521.00	870354.00	1835875.00	925421.00	910454.00
	TOTAL	**2494149.95**	**6529129.90**	**9023279.85**	**7506798.90**	**1516480.95**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **2494149.95**

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT DHORAN
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

J.A

BANK DETAIL OF GP DHORAN BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5TH/MPLAD	KCC	20138003212	731981.08
2	General	KCC	20138003223	3669
3	15 FC	ICICI	93601000728	346127
4	14TH	CANARA	2065101014670	829349.35
5	RGSA	CANARA	20165101015239	508409.00
6	VKVNY	HDFC	17361450000824	213
7	VKVNY	KCC	50061596349	247
8	SDP/SDRF	KCC	50061596292	375215.00
9	AAY	HDFC	17361450000748	7
10	PS	HDFC	17361450000834	362.00
11	PS	KCC	50061595903	31259
12	RAY	KCC	50061596316	1201
13	GRDY	KCC	50061596350	1038
14	GRDY	HDFC	17361450000487	6
15	ZP	KCC	50061596269	727
16	SBM	CANARA	2065101014671	108616
	CASH IN HAND			287
			TOTAL	2938713.43

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5TH/MPLAD	KCC	20138003212	450856.08
2	General	KCC	20138003223	3781.00
3	15 FC	ICICI	93601000728	965521.00
4	14TH	CANARA	2065101014670	579307.35
5	RGSA	CANARA	20165101015239	522508.00
6	VKVNY	HDFC	17361450000824	221.00
7	VKVNY	KCC	50061596349	143930.95
8	SDP/SDRF	KCC	50061596292	35249.50
9	AAY	HDFC	17361450000748	7.00
10	PS	HDFC	17361450000834	374.00
11	PS	KCC	50061595903	32206.00
12	RAY	KCC	50061596316	1237.00
13	GRDY	KCC	50061596350	1070.00
14	GRDY	HDFC	17361450000487	6.00
15	ZP	KCC	50061596269	751.00
16	SBM	CANARA	2065101014671	111800.00
	CASH IN HAND			765.00
			TOTAL	2849590.88

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT DHOARN
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

BANK DETAIL OF GP DHORAN BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5TH/MPLAD	KCC	20138003212	189616.08
2	General	KCC	20138003223	129060.00
3	15 FC	ICICI	93601000728	910454.00
4	14TH	CANARA	2065101014670	596332.35
5	RGSA	CANARA	20165101015239	9585
6	VKVNY	HDFC	17361450000824	221
7	VKVNY	KCC	50061596349	39994.95
8	SDP/SDRF	KCC	50061596292	39985.00
9	AAY	HDFC	17361450000748	7.00
10	PS	HDFC	17361450000834	374.00
11	PS	KCC	50061595903	98.00
12	RAY	KCC	50061596316	4.00
13	GRDY	KCC	50061596350	3.00
14	GRDY	HDFC	17361450000487	6.00
15	ZP	KCC	50061596269	2.00
16	SBM	CANARA	2065101014671	0.00
	CASH IN HAND			2119.00
			TOTAL	1917861.38

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT DHOARN
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P

J.A

95

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT DHORAN BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	428	100	37050	42800	79850	0	79850

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT DHORAN BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	430	100	79850	43000	122850	87000	35850

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT DHOARN
DEV. BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P

26